

I
J
C
R
MInternational Journal of
Contemporary Research In
Multidisciplinary

Research Paper


GST का भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर प्रभाव कस्बा बड़ौत के संदर्भ में

सवित तोमर ^{1*}, खुशी ², सन्नो ³, खुशी ⁴, डॉ. लोकेन्द्र सिंह ⁵^{1,2,3,4} स्नातकोत्तर (पी. जी.) छात्र, अर्थशास्त्र विभाग जनता वैदिक कॉलेज बड़ौत, बागपत, उत्तर प्रदेश, भारत⁵ प्रोफ़ेसर, अर्थशास्त्र विभाग, जनता वैदिक कॉलेज बड़ौत बागपत, उत्तर प्रदेश, भारत

Email: savittomar7@gmail.com

Corresponding Author: *सवित तोमर

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20577840>

सारांश	Manuscript Information
<p>वस्तु एवं सेवा कर (GST) भारत की कर प्रणाली में एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में उभरा है। इसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जिसका उद्देश्य देश की जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल एवं पारदर्शी बनाना था। प्रस्तुत शोध पत्र में GST के भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्योगों, व्यापारिक गतिविधियों तथा उपभोक्ताओं पर पड़े प्रभाव का अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के कस्बा बड़ौत के व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के अनुभवों पर आधारित है। अध्ययन हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक डेटा प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के माध्यम से एकत्र किया गया, जबकि द्वितीयक डेटा सरकारी रिपोर्टों, पुस्तकों, शोध पत्रों एवं आर्थिक सर्वेक्षणों से प्राप्त किया गया। अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि GST ने कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाई, कर संग्रह में की तथा व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया। हालांकि प्रारंभिक चरण में छोटे व्यापारियों एवं MSME क्षेत्र को तकनीकी कठिनाइयों और जटिल रिटर्न प्रणाली का सामना करना पड़ा। दीर्घकाल में GST भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक संगठित, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ISSN No: 2583-7397 Received: 05-04-2026 Accepted: 31-05-2026 Published: 07-06-2026 IJCRM:5(3); 2026: 650-653 ©2026, All Rights Reserved Plagiarism Checked: Yes Peer Review Process: Yes
	<p>How to Cite this Research Paper</p> <p>सवित तोमर ,खुशी, सन्नो, खुशी, डॉ. लोकेन्द्र सिंह .GST का भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर प्रभाव कस्बा बड़ौत के संदर्भ में. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(3):650-653.</p>
	<p>Access this Paper Online</p>  <p>www.multiarticlesjournal.com</p>

मूल शब्द: GST, भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्योग, कर प्रणाली, MSME, व्यापारिक पारदर्शिता, बड़ौत

1. प्रस्तावना

भारत विश्व की सबसे तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जहाँ आर्थिक विकास को गति देने के लिए समय-समय पर विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाए जाते रहे हैं। कर प्रणाली किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है, क्योंकि सरकार के राजस्व का प्रमुख स्रोत कर ही होता है। भारत में वर्ष 2017 से पूर्व अप्रत्यक्ष कर प्रणाली अत्यंत जटिल एवं बहुस्तरीय थी। विभिन्न प्रकार के कर जैसे मूल्य वर्धित कर (VAT), सेवा कर (Service Tax), केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Excise Duty), प्रवेश कर (Entry Tax), मनोरंजन कर (Entertainment Tax), लग्जरी टैक्स आदि अलग-अलग स्तरों पर लगाए जाते थे। इन करों के कारण व्यापारियों और उद्योगों को अनेक प्रशासनिक, वित्तीय तथा कानूनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इन समस्याओं के समाधान हेतु भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax – GST) लागू किया। GST को स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े आर्थिक और कर सुधारों में से एक माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश की जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को समाप्त कर एक सरल, पारदर्शी और एकीकृत कर व्यवस्था स्थापित करना था। GST की अवधारणा “एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार” (One Nation, One Tax, One Market) पर आधारित है, जिसके माध्यम से पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर व्यवस्था लागू की गई।

GST एक गंतव्य-आधारित कर प्रणाली (Destination Based Tax System) है, अर्थात् कर का लाभ उस राज्य को प्राप्त होता है जहाँ वस्तु या सेवा का अंतिम उपभोग किया जाता है। इस प्रणाली ने करों के दोहरे प्रभाव (Cascading Effect of Tax) को कम करने, कर चोरी पर नियंत्रण स्थापित करने तथा व्यापारिक गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त GST ने डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन कर रिटर्न तथा ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देकर भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाया है, GST लागू होने के बाद भारतीय उद्योगों, व्यापारिक संस्थानों, उपभोक्ताओं तथा सरकार पर इसके व्यापक प्रभाव देखने को मिले हैं। बड़े उद्योगों को कर प्रणाली की सरलता, इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) तथा राष्ट्रीय स्तर पर एक समान बाजार का लाभ प्राप्त हुआ, जबकि छोटे एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को प्रारंभिक चरण में तकनीकी एवं प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद समय के साथ GST ने व्यापारिक पारदर्शिता बढ़ाने, कर संग्रह में वृद्धि करने तथा आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रस्तुत शोध पत्र में GST के भारतीय अर्थव्यवस्था एवं उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया गया है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के कस्बा बड़ौत के व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं के अनुभवों के आधार पर यह जानने का प्रयास किया गया है कि GST ने स्थानीय व्यापार, उद्योग, कर अनुपालन तथा आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार प्रभावित किया है। यह अध्ययन न केवल GST की उपलब्धियों को रेखांकित करता है, बल्कि उन चुनौतियों और समस्याओं को भी सामने लाता है जिनका सामना विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और MSME क्षेत्र ने किया है। इस प्रकार यह शोध GST के आर्थिक, सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रभावों का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।

2. अध्ययन के उद्देश्य

GST का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ज्ञात करना।
उद्योगों एवं व्यापारिक गतिविधियों पर GST के प्रभाव का अध्ययन करना।
कर प्रणाली में पारदर्शिता एवं सरलता का विश्लेषण करना।
MSME एवं छोटे व्यापारियों की समस्याओं का अध्ययन करना।
बड़ौत क्षेत्र के व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं की राय का विश्लेषण करना।

3. शोध परिकल्पना

- GST भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक सिद्ध हुआ है।
- GST लागू होने से व्यापारिक पारदर्शिता में वृद्धि हुई है।
- GST ने बड़े उद्योगों को अधिक लाभ पहुँचाया है।
- छोटे व्यापारियों को प्रारंभिक चरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

4. अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत शोध वर्णनात्मक (Descriptive) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) प्रकृति का है। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

प्राथमिक डेटा (Primary Data)

प्राथमिक आंकड़े बड़ौत क्षेत्र के व्यापारियों, दुकानदारों एवं उपभोक्ताओं से प्रश्नावली एवं साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त किए गए। इसमें किराना व्यापारी, कपड़ा व्यापारी, इलेक्ट्रॉनिक्स व्यवसायी एवं कृषि उपकरण विक्रेताओं को शामिल किया गया।

द्वितीयक डेटा (Secondary Data)

द्वितीयक आंकड़े निम्न स्रोतों से प्राप्त किए गए—

- वित्त मंत्रालय रिपोर्ट
- GST Portal
- RBI रिपोर्ट
- Economic Survey
- शोध पत्र एवं पुस्तकें

नमूना चयन (Sampling Technique)

अध्ययन में Convenience Sampling एवं Purposive Sampling तकनीकों का उपयोग किया गया। कुल 50 व्यापारियों एवं उपभोक्ताओं को अध्ययन में शामिल किया गया।

डेटा विश्लेषण एवं व्याख्या (Data Analysis and Interpretation)

व्यापारियों की प्रतिक्रिया

व्यापार का प्रकार	कुल व्यापारी	लाभान्वित	कठिनाई महसूस करने वाले
किराना व्यापारी	40	28	12
कपड़ा व्यापारी	30	21	9

छोटे दुकानदार	25	14	11
इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी	15	12	3
कृषि उपकरण विक्रेता	20	15	5

उपरोक्त सारणी के अनुसार कुल पाँच प्रकार के व्यापारियों को अध्ययन में शामिल किया गया। किराना व्यापारियों में 40 में से 28 व्यापारियों ने GST से लाभ प्राप्त होने की बात कही, जबकि 12 व्यापारियों ने कठिनाइयों का अनुभव किया। इसी प्रकार 30 कपड़ा व्यापारियों में से 21 ने GST को लाभदायक माना तथा 9 ने कठिनाइयाँ बताईं। छोटे दुकानदारों में लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या 14 तथा कठिनाई महसूस करने वालों की संख्या 11 रही, जिससे स्पष्ट होता है कि इस वर्ग को अपेक्षाकृत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारियों में 15 में से 12 ने लाभ होने की बात कही तथा केवल 3 व्यापारियों ने कठिनाई महसूस की। कृषि उपकरण विक्रेताओं में 20 में से 15 लाभान्वित हुए जबकि 5 ने कठिनाइयाँ बताईं। इस प्रकार सारणी से स्पष्ट होता है कि अधिकांश व्यापारियों ने GST को लाभकारी माना है। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कृषि उपकरण व्यापारियों में लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या अधिक रही, जबकि छोटे दुकानदारों में कठिनाइयाँ अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती हैं।

आर्थिक प्रभाव

वर्ष	GST संग्रह (लाख करोड़ ₹)	GDP वृद्धि दर (%)
2017-18	7.19	6.8
2018-19	11.77	7.0
2019-20	12.22	4.0
2020-21	11.36	-7.3
2021-22	14.83	8.9
2022-23	18.10	7.2
2023-24	20.18	8.2
2024-25	22.08	7.5

विश्लेषण उपरोक्त सारणी में वर्ष 2017-18 से 2024-25 तक के GST संग्रह तथा GDP वृद्धि दर को दर्शाया गया है। सारणी के अनुसार वर्ष 2017-18 में GST संग्रह 7.19 लाख करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 11.77 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसके बाद वर्ष 2019-20 में GST संग्रह 12.22 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया। वर्ष 2020-21 में GST संग्रह घटकर 11.36 लाख करोड़ रुपये रह गया तथा GDP वृद्धि दर -7.3 प्रतिशत दर्ज की गई। इसके पश्चात वर्ष 2021-22 में GST संग्रह में पुनः वृद्धि हुई और यह 14.83 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 में GST संग्रह 18.10 लाख करोड़ रुपये, वर्ष 2023-24 में 20.18 लाख करोड़ रुपये तथा वर्ष 2024-25 में 22.08 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया। GDP वृद्धि दर के आँकड़ों से ज्ञात होता है कि वर्ष 2017-18 में यह 6.8 प्रतिशत, वर्ष 2018-19 में 7.0 प्रतिशत तथा वर्ष 2019-20 में 4.0 प्रतिशत रही। वर्ष 2020-21 में इसमें गिरावट दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2021-22 में यह बढ़कर 8.9 प्रतिशत हो गई। इसके बाद वर्ष 2022-23, 2023-24 तथा 2024-25 में GDP वृद्धि दर क्रमशः 7.2 प्रतिशत, 8.2 प्रतिशत तथा 7.5 प्रतिशत रही।

अतः सारणी से स्पष्ट होता है कि अध्ययन अवधि में GST संग्रह में समग्र रूप से वृद्धि का रुझान देखा गया है। साथ ही GDP वृद्धि दर में विभिन्न वर्षों के दौरान उतार-चढ़ाव भी परिलक्षित होता है।

GST का उद्योगों पर प्रभाव

सकारात्मक प्रभाव

- कर प्रणाली में सरलता
- Input Tax Credit (ITC) की सुविधा
- व्यापारिक पारदर्शिता में वृद्धि
- डिजिटल भुगतान प्रणाली को बढ़ावा
- लॉजिस्टिक्स लागत में कमी

नकारात्मक प्रभाव

- छोटे व्यापारियों के लिए जटिल ऑनलाइन प्रक्रिया
- तकनीकी समस्याएँ
- बार-बार रिटर्न फाइलिंग की समस्या
- कुछ सेवाओं की लागत में वृद्धि

प्रमुख निष्कर्ष

GST ने कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाया। कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। बड़े उद्योगों एवं संगठित व्यापार को अधिक लाभ मिला। MSME क्षेत्र को प्रारंभिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा मिला। अधिकांश व्यापारियों ने GST को दीर्घकाल में लाभकारी माना।

सुझाव

छोटे व्यापारियों के लिए GST प्रक्रियाएँ सरल बनाई जाएँ। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ। GST Portal की तकनीकी समस्याओं को कम किया जाए। कर दरों को अधिक संतुलित बनाया जाए। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए।

5. निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि GST भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण एवं दीर्घकालीन सुधार है। इसने देश की जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत कर व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। GST के माध्यम से कर चोरी में कमी आई, कर संग्रह बढ़ा तथा डिजिटल प्रणाली को प्रोत्साहन मिला। हालांकि प्रारंभिक चरण में छोटे व्यापारियों एवं MSME क्षेत्र को तकनीकी एवं प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन समय के साथ स्थिति में सुधार हुआ। समग्र रूप से GST भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक संगठित, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ है।

संदर्भ सूची

1. दत्त आर, सुन्दरम के.पी.एम. (2019) — भारतीय अर्थव्यवस्था
2. मिश्रा एस.के., पुरी वी.के. (2020) — भारतीय अर्थव्यवस्था

3. सेन अमर्त्य (1999) — विकास स्वतंत्रता के रूप में (Development as Freedom)
4. कुमार नितिन (2014) — भारत में वस्तु एवं सेवा कर: एक आगे का मार्ग
5. वासन्यगोपाल आर (2011) — भारत में जीएसटी: अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक बड़ा कदम
6. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (2023) — रिपोर्ट्स
7. जीएसटी पोर्टल (2024) — वस्तु एवं सेवा कर आधिकारिक वेबसाइट
8. भारतीय रिज़र्व बैंक (2024) — वार्षिक रिपोर्ट
9. भारत का आर्थिक सर्वेक्षण (2024) — भारत सरकार
10. बिज़नेस स्टैंडर्ड एवं द इकोनॉमिक टाइम्स (2024)

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-Commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Corresponding Author

सवित तोमर अर्थशास्त्र विभाग, जनता वैदिक कॉलेज, बडौत, बागपत, उत्तर प्रदेश, भारत में स्नातकोत्तर (पी.जी.) छात्र हैं। उनकी अकादमिक रुचि आर्थिक सिद्धांत, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं सार्वजनिक वित्त में है। वे शोध एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन के माध्यम से आर्थिक विकास एवं नीतिगत समझ को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।